

## विद्याधिकारी एवं विद्याविनोद परीक्षाओं की मान्यता

उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनिताल द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा को परिषद् के विनियम 2009, अध्याय 14 विनियम 2/43-4 के अन्तर्गत विद्याधिकारी परीक्षा को (हाईस्कूल) के समकक्ष एवं परिषद् के विनियम 2009, अध्याय 12 विनियम 13/43-4 के अन्तर्गत विद्याविनोद परीक्षा को (इण्टरमीडिएट) के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। एवं गृह मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा पत्रांक 14021/2/82-Estt.(D) व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड-भिवानी के पत्रांक 14021/2/82-F 21-7/85 A/973 द्वारा मान्यता प्राप्त है।